

ब-न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0- 34 / 2021-22

मिनहाज बनाम् रैयान, मौजा-बाजेकिता

-: आदेश :-

20.08.2022

वर्तमान प्रधान बहाली की प्रक्रिया आवेदक मिनहाज, पे0-मु0 मुसलीम, सा0-शीतल, पो0-दिग्धी, थाना व अंचल-महागामा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-बाजेकिता नं0-445 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के उपरान्त बहाली हेतु प्रारंभ किया गया है।


आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।


अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-455/रा0, दिनांक-03.03.2022 द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा में खास वसूली होती है तथा पूर्व प्रधान के संबंध में कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं आवेदक द्वारा भी पूर्व प्रधान की नियुक्ति संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक मौजा प्रधानी प्रतीत नहीं होने के कारण आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

अतः वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


20.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


20.08.22
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Bandejuni Sand
24/08/22